

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

ऊर्जा विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1349	परिवर्तित अतारंकित प्रश्न सं.88 (प्रश्न क्रं.2120) दि. 26-07-2016 (श्रीमती सरस्वती सिंह,)	सिंगरौली जिले में एस्सार सुपर थर्मल पावर कंपनी बंधौरा में श्री अनिल कुमार मौर्या पिता. स्व. राम राज मौर्या विस्थापित को नियमानुसार रोजगार उपलब्ध कराना ।	साक्षात्कार पश्चात् कार्यवाही की जावेगी ।		
1350	अतारंकित प्रश्न सं.15 (प्रश्न क्रं.876) दि. 26-07-2016 (श्री रामपाल सिंह,)	शहडोल जिले की ब्यौहारी विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत बिहारी लाल गौंड पिता रामनाथ सिंह गौंड रंगीटोला पोंडी को बिना विद्युत कनेक्शन दिये माह जुलाई 2016 में रूपये 11,050 राशि विद्युत बिल जारी करने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण की जांच की जा रही है । इस लापरवाही के लिए जिम्मेदार अधिकारी/कर्मचारी के खिलाफ जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी ।		
1351	अतारंकित प्रश्न सं.186 (प्रश्न क्रं.3136) दि. 26-07-2016 (श्री रामकिशन पटेल,)	रायसेन जिले की उदयपुरा विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत किसान अनुदान योजना का लाभ शेष रहे हितग्राहियों को निश्चित समय सीमा दिया जाना ।	बचे हितग्राहियों को माह अक्टूबर-2016 तक स्थाई पम्प कनेक्शन प्रदाय कर योजनांतर्गत लाभान्वित किया जा सकेगा ।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

खनिज साधन विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1352	तारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.1136) दि. 26-07-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान,)	न्यायालय, अपर आयुक्त उज्जैन संभाग, उज्जैन के समक्ष दर्ज प्रकरण क्र. 395/15-16 के निराकरण हेतु भोपाल स्तर के अधिकारी को नियुक्त कर निश्चित समय सीमा में प्रकरण का निराकरण किया जाना।	(1) माननीय सदस्य की मंशा के अनुसार जो भी इसमें न्यायिक तौर से किया जा सकता है वह किया जाएगा। (2) नियम के अनुरूप जो भी कार्यवाही होगी, वह की जावेगी।		
1353	तारांकित प्रश्न सं.9 (प्रश्न क्रं.1450) दि. 26-07-2016 (श्रीमती नीना विक्रम वर्मा,)	धार-गुजरी सीमेंटीकृत रोड के निर्माण हेतु आवंटित मुरम खदान के ठेकेदार द्वारा क्षमता से अधिक मुरम वाहनों में भर कर परिवहन किये जाने से क्षतिग्रस्त हो रही ग्रामीण सड़कों को संबंधित ठेकेदारों से दुरुस्त कराया जाना।	संबंधित विभागों से बातचीत कर प्रावधान करने के बारे में विचार करेंगे।		
1354	तारांकित प्रश्न सं.11 (प्रश्न क्रं.2051) दि. 26-07-2016 (श्री आर.डी. प्रजापति,)	छतरपुर जिले की विधान सभा क्षेत्र चंदला के अंतर्गत केन नदी में मवईघाट, परेई, बरूआ, फत्तेपुर, रामपुर, हरई, कुरधना, बधारी आदि क्षेत्रों में रेत/बालू का खनन माफियों द्वारा अवैध उत्खन्न किये जाने की शिकायत मुख्यमंत्री हेल्प लाईन एवं उच्च अधिकारियों को किये जाने के बावजूद शिकायत दर्ज न किये जाने एवं शिकायतों पर कोई कार्यवाही न किये जाने की जांच कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	मैं माननीय सदस्य से चर्चा करूंगा और उन्होंने जो-जो बातें कही हैं, शिकायत के रूप में उसकी जांच करायी जायेगी, जो दोषी होगा उसके खिलाफ कार्यवाही होगी।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1355	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.3 (प्रश्न क्रं.66) दि. 26-07-2016 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा,)	(1) दिनांक 09 जून 2016 को अशोकनगर शहर के निकट पलकटोरी गांव में उद्योग विभाग की भूमि पर अवैध उत्खनन किये जाने पर तहसीलदार, पुलिस पटवारी के द्वारा घटना स्थल से जेसीवी डम्पर पोर्सलेन ट्रेक्टर आदि जप्त कर ले जाने पर खनिज माफियों द्वारा हमला कर वाहन छुड़ा लेने पर अशोकनगर थानें में पंजीबद्ध अपराध क्रमांक 266/16 के आरोपियों की शीघ्र गिरफ्तारी की जाना। (2) ग्राम पलकटोरी की भूमि पर अवैध उत्खनन किये जाने के दर्ज प्रकरण में आरोपियों से अर्थदण्ड की राशि वसूली हेतु प्रभावी वैधानिक कार्यवाही की जाना।	(1) प्रकरण विवेचना में है। आरोपीगणों की गिरफ्तारी के हर संभव प्रयास जारी हैं। (2) प्रकरण न्यायालय कलेक्टर, अशोकनगर के समक्ष विचाराधीन है।		
1356	अतारांकित प्रश्न सं.20 (प्रश्न क्रं.1016) दि. 26-07-2016 (श्री नरेन्द्र सिंह कुशवाह,)	भिण्ड जिले के ग्राम विरौना सिंध नदी में दिनांक 23.5.16 को अवैध उत्खनन किये जाने के प्रकरण में की गई अनियमितता की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की जाना।	(1) जी हाँ। इस संबंध में कलेक्टर, भिण्ड को जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के लिये लेख किया गया है। (2) कलेक्टर, भिण्ड को जाँच कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराने हेतु लेख किया गया है। जिसके अनुसार कार्यवाही उपरांत प्रश्नानुसार स्थिति स्पष्ट होगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

जल संसाधन विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1357	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.63 (प्रश्न क्रं.1791) दि. 26-07-2016 (श्री मुकेश नायक,)	म.प्र. उच्च न्यायालय जबलपुर पीठ द्वारा अवमानना याचिका क्रमांक सी.ओ.एन.सी./1406/2012 दिनांक 05.02.2012 में दिए गए निर्देशानुसार उत्तरदायित्व का शीघ्र निर्धारण कर प्रकरण की जानकारी मुख्य सचिव म.प्र. शासन के संज्ञान में लाया जाकर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।		
1358	अतारांकित प्रश्न सं.188 (प्रश्न क्रं.3145) दि. 26-07-2016 (श्रीमती संगीता चारेल,)	रतलाम जिले की सैलाना विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2007 में जामुडिया तालाब का निर्माण तय मापदण्ड के अनुरूप नहीं किये जाने के संबंध में संस्थित विभागीय जांच निष्कर्ष के अनुरूप शीघ्र तकनीकी जांच कराई जाकर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	विभागीय जांच संस्थित की गई। विभागीय जांच में प्राप्त निष्कर्षों के अनुरूप आगे तकनीकी जांच के निर्देश दिये गये हैं।		

मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1359	तारांकित प्रश्न सं.8 (प्रश्न क्रं.1277) दि. 26-07-2016 (श्रीमती उमादेवी लालचंद्र खटीक,)	नवगठित नगर परिषद पटेरा, जिला दमोह में पद संरचना के अनुसार पदों की पूर्ति की जाना एवं अधोसंरचना के विकास कार्यों के लिए प्रस्ताव अनुसार स्वीकृति प्रदान किया जाना ।	(1) वह हम अवश्य वहां सारी जानकारी उपलब्ध करेंगे और उसके आधार पर पदों की पूर्ति करने का मैं उनको आश्वासन देती हूँ । (2) मदद संभव हो सकती है हम जरूर मदद करेंगे ।		
1360	तारांकित प्रश्न सं.10 (प्रश्न क्रं.2820) दि. 26-07-2016 (श्रीमती इमरती देवी,)	प्रदेश में शासकीय कार्यों के भूमि पूजन/लोकार्पण के कार्यक्रमों में स्थानीय विधायकों/सांसदों को नियमानुसार आमंत्रित किये जाने हेतु कड़े निर्देश जारी किया जाना ।	वहां एक बार और रिमाइण्डर करवा देंगे ।		
1361	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.7 (प्रश्न क्रं.107) दि. 26-07-2016 (श्री महेन्द्र सिंह कालूखेड़ा,)	अशोकनगर शहर में वार्ड क्र. 02 अंतर्गत तायडे कॉलोनी में सामुदायिक विकास भवन पर किये गये अवैध कब्जा शीघ्र हटाया जाना ।	(1) कार्यवाही प्रारंभ की गई है । (2) सामुदायिक विकास भवन पर अतिक्रमण हटाने एवं कब्जे में लेने के संबंध में कार्यवाही प्रारंभ कर दी गई है ।		
1362	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.25 (प्रश्न क्रं.801) दि. 26-07-2016 (श्री रामनिवास रावत,)	इंदौर शहर के मास्टर प्लान का उल्लंघन कर 584 एम.जी. रोड़ स्थित उदासीन आश्रम की एम.ओ.एस. की भूमि पर 56 दुकानदारों में से अनेक दुकानदारों द्वारा अवैध अतिक्रमण कर व्यवसायिक उपयोग किये जाने की प्राप्त शिकायत की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर विधि अनुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) प्रश्नाधीन प्रकरण में जांच की जा रही है । (2) प्रतिवेदन तैयार करने की प्रक्रिया के तहत जांच प्रचलित है । वैधानिक कार्यवाही की जा सकेगी ।		
1363	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.71 (प्रश्न क्रं.1882) दि. 26-07-2016 (श्री रणजीतसिंह गुणवान,)	जिला सीहोर अंतर्गत आष्टा नगर पालिका में सिंहस्थ 2016 में यात्रियों की सुविधा एवं अन्य निर्माण कार्यों के लिए स्वीकृत राशि 78.49 लाख रुपये से सिंहस्थ पर्व तक निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	प्रकरण में जांच कराई जा रही है । जांच प्रतिवेदन अनुसार कार्यवाही की जाएगी ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1364	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.121 (प्रश्न क्रं.2591) दि. 26-07-2016 (डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय,)	रतलाम जिले की नगर पालिका परिषद जावरा एवं पिपलौदा के नागरिकों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना ।	जी हों ।		
1365	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.193 (प्रश्न क्रं.3255) दि. 26-07-2016 (श्रीमती प्रमिला सिंह,)	जिला अनूपपुर की नगर परिषद जैतहरी में व्याप्त आर्थिक अनियमितताओं की प्राप्त शिकायतों की जांच कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध विधि सम्मत कार्यवाही की जाना।	(1) शिकायत के बिन्दुओं एवं जाँच प्रतिवेदन का परीक्षण किया जा रहा है। (2) जाँच प्रतिवेदन के परीक्षण उपरांत गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		
1366	अतारांकित प्रश्न सं.12 (प्रश्न क्रं.680) दि. 26-07-2016 (श्री दिनेश राय,)	नगर पालिका सिवनी क्षेत्र में एलम ब्लीचिंग की खराब सप्लाई से दूषित पेयजल प्रदाय किये जाने के संबंध में दिसम्बर 2015 सत्र में प्रश्नकर्ता द्वारा ध्यानाकर्षण सूचना क्र. 05 के जरिये विधान सभा में मामला उठाने पर एलम ब्लीचिंग की कलेक्टर सिवनी द्वारा कराई गई जांच में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये नगर पालिका के अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध शीघ्र नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	(1) जाँच प्रक्रिया पूर्ण होने पर अवगत कराया जा सकेगा। (2) शीघ्र ही कार्यवाही पूर्ण की जावेगी ।		
1367	अतारांकित प्रश्न सं.89 (प्रश्न क्रं.2110) दि. 26-07-2016 (इन्जी. प्रदीप लारिया,)	सागर जिले की नगर पालिका मकरोनिया बुजुर्ग में पदस्थ मुख्य नगर पालिका अधिकारी के विरुद्ध नगर पालिका झाबुआ में पदस्थी के दौरान संस्थित त्रिभागीय जांच निश्चित समय-सीमा में पूर्ण कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	विभागीय जाँच के निष्कर्ष के आधार पर कार्यवाही की जायेगी ।		
1368	अतारांकित प्रश्न सं.94 (प्रश्न क्रं.2142) दि. 26-07-2016 (श्री अनिल जैन,)	टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद निवाड़ी एवं तरीचरकलां में मुख्यमंत्री पेयजल योजना अंतर्गत पेयजल टंकी का निर्माण की शीघ्र अनुमति प्रदान किया जाना ।	अनुमति संबंधी प्रकरण का अतिशीघ्र निपटारा किया जाकर टंकी निर्माण किया जाएगा ।		
1369	अतारांकित प्रश्न सं.95 (प्रश्न क्रं.2156) दि. 26-07-2016 (श्री अनिल जैन,)	वर्ष 2014-15 में टीकमगढ़ जिले की नगर परिषद निवाड़ी की विद्युत व्यवस्था हेतु स्वीकृत राशि का समुचित उपयोग नहीं किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	इस प्रकरण में जाँच आदेशित की जा रही है एवं जांच के निष्कर्षों के अनुसार दायित्व निर्धारण किया जायेगा ।		

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1370	अतारंकित प्रश्न सं.180 (प्रश्न क्रं.3053) दि. 26-07-2016 (कुँवर सौरभ सिंह,)	नगर पालिक निगम कटनी क्षेत्र अंतर्गत कालोनाईजर श्रीमती चौदहा द्वारा गोपाल नगर में बिना अनुज्ञा अनुमति के निर्माण कार्य किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	जांच समिति गठित की गई है। जांच प्रतिवेदन प्राप्त होने पर गुणदोष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जा सकेगी।		
1371	अतारंकित प्रश्न सं.227 (प्रश्न क्रं.3608) दि. 26-07-2016 (श्री मुरलीधर पाटीदार,)	आगर जिले की नगर परिषद नलखेडा में राजस्व भूमि पर शासन की अनुमति के बिना दुकानों का निर्माण कराये जाने की जांच एवं जांच प्रतिवेदन के निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	समस्त तथ्यों एवं दस्तावेजों का परीक्षण उपरांत प्राप्त जांच प्रतिवेदन के आधार पर शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।		
1372	ध्यानाकर्षण (सूचना क्रं.54) दि. 26-07-2016 (श्री दिलीप सिंह परिहार,)	(1) नीमच के केंट अंतर्गत नगर पालिका आधिपत्य की भूमि बंगला, बगीचा आदि क्षेत्रों में शासन की योजनाओं का लाभ दिलाया जाना । (2) नीमच एवं जबलपुर केंट एरिया क्षेत्र निवासियों को मूल-भूत सुविधा एवं उनकी निजी भूमि बेचने की सुविधा आदि उपलब्ध कराई जाना ।	(1) सभी प्रकरणों को संज्ञान में लेकर जल्दी से जल्दी निर्णय किया जायेगा । (2) एक माह के भीतर ही कमेटी की बैठक में आपके द्वारा उठाये गए बिंदुओं को रखेंगे । इन बिन्दुओं पर विचार करके सकारात्मक कदम हम शीघ्र ही उठायेंगे। मंत्रिमंडलीय उप समिति में भी यह मामला रखा जाएगा । (3) आसंदी व्यवस्था :- कलेक्टरों को आप शासन स्तर से निर्देश दे दीजिए ताकि वे ऐसे प्रकरणों का निराकरण कर सकें । (4) जो बिन्दु सदन में रखे हैं, उस पर सकारात्मक चर्चा करके शीघ्र हल निकालेंगे । (5) नियम के अनुसार निर्णय किया जाएगा । परीक्षण करके जो उनके हित में कदम उठाए जा सकते हैं बिल्कुल ध्यान रखेंगे । (6) हितग्राहियों के लाभ के संबंध में हम समीक्षा करेंगे और यदि उन्हें लाभ नहीं मिला है तो लाभ दिलवाया जाएगा ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

नर्मदा घाटी विकास विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1373	तारांकित प्रश्न सं.1 (प्रश्न क्रं.2857) दि. 26-07-2016 (श्री सचिन यादव,)	(1) इंदिरा सागर परियोजना (पुनासा डेम) के अंतर्गत खरगोन जिले की कसरावद विधानसभा क्षेत्र में अधूरे नहरो के निर्माण कार्य निश्चित समय अवधि में पूर्ण कराया जाना । (2) बलकवाड़ा, सिंगून, दाबरी जोन, साला उमरिया क्षेत्र में सोलर प्लांट लगाकर किसानों को सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराना ।	(1) जून 2017 तक हम इस काम को पूर्ण कर देंगे । (2) हम समीक्षा करेंगे किसान के हित में जो आवश्यक हो सकता है वह हम करेंगे ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

पर्यावरण विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1374	अतारांकित प्रश्न सं.203 (प्रश्न क्रं.3231) दि. 26-07-2016 (श्री बहादुर सिंह चौहान,)	18 मार्च 2016 के ता.प्र.सं. 01 (क्र. 6354) के संदर्भ में ग्रेसिम इंडस्ट्रीज नागदा जं. के संबंध में जांच कराई जाकर शीघ्र निराकरण किया जाना ।	निरीक्षण की तिथि नियत होने पर ही जांच की कार्यवाही शीघ्र कराई जायेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

योजना,आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1375	अतारांकित प्रश्न सं.196 (प्रश्न क्रं.3191) दि. 26-07-2016 (श्री जालम सिंह पटेल,)	विभाग में रिक्त सहायक संचालक (प्रशासन) के पद की शीघ्र पूर्ति की जाना ।	(1) कार्यवाही प्रचलन में है । (2) पदोन्नति की कार्यवाही पूर्ण होने पर सहायक संचालक (प्रशासन) के रिक्त पद की पूर्ति हो सकेगी ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

वाणिज्यिक कर विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1376	परिवर्तित अतारांकित प्रश्न सं.142 (प्रश्न क्रं.2831) दि. 26-07-2016 (श्रीमती इमरती देवी,)	ग्वालियर चंबल संभाग के अंतर्गत गृह जिले में पदस्थ वाणिज्यिक कर अधिकारी एवं सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	प्राप्त शिकायत की जांच संभागीय उपायुक्त, वाणिज्यिक कर ग्वालियर संभाग-2 को दी गई है जिस पर प्रतिवेदन अपेक्षित है ।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1377	अतारांकित प्रश्न सं.4 (प्रश्न क्रं.159) दि. 26-07-2016 (कुँवर सौरभ सिंह,)	दिनांक 29.3.2016 के परि.अता.प्र. संख्या 69 (क्र.7168) के संदर्भ में म.प्र. राज्य औद्योगिक भूमि एवं भवन प्रबंधन नियम 2015 की कंडिका 40 का उल्लंघन कर अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर आवंटन अधिकारी द्वारा 02 ईकाइयों के पट्टे बहाल किये जाने की जांच एवं जांच निष्कर्ष के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जाना।	जांच अधिकारी के प्रतिवेदन के आधार पर नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।		

**मध्यप्रदेश विधान सभा सचिवालय
जुलाई, 2016 सत्र में दिये गये आश्वासन**

सामान्य प्रशासन विभाग

दिनांक: 26-07-2016

आश्वासन क्रमांक	प्रश्न संख्या/प्रश्न क्रमांक दिनांक / सदस्य का नाम	आश्वासन का संक्षिप्त विषय	आश्वासन का रूप	शासन द्वारा की गई कार्यवाही	आश्वासन की पूर्ति की तिथि
1378	तारांकित प्रश्न सं.2 (प्रश्न क्रं.1481) दि. 26-07-2016 (श्री मनोज कुमार अग्रवाल,)	प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों को निश्चित समय सीमा में नियमितीकरण किया जाना ।	पहलुओं पर विचार करके उनके हित में कोई अच्छा निर्णय हो सके, इसका हम प्रयास कर रहे हैं ।		
1379	अतारांकित प्रश्न सं.34 (प्रश्न क्रं.1204) दि. 26-07-2016 (श्री कालुसिंह ठाकुर,)	धार जिले में वर्ष 2015-16 में आर्थिक अपराधों से संबंधित कलेक्टर जिला धार को प्राप्त शिकायतों की जांच शीघ्र कराई जाकर जांच निष्कर्ष के आधार पर संबंधित दोषियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाना ।	अनुभाग धार स्तर पर लंबित शिकायत में गठित समिति का जाँच प्रतिवेदन अप्राप्त होने से कार्यवाही लंबित है ।		